न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर।

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 56/2015

निर्णय दिनांक : 09/03/2022

उनवान

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश जाति खत्री, निवासी– भैरव कालोनी, मालपुरा रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

छीतर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सेडू जाति दरोगा, निवासी– ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सागांनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे निम्न प्रकार है कि ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला, पटवार हल्का पंवालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी की सहखातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 01.07 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादी का अभिलिखित हिस्सा 1/2 है तथा हिस्सा 1/2 वादी के भाई सतीश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश खत्री के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है। वादग्रस्त भूमि को वादी एवं उसके भाई सतीश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र हरफूली देवी पत्नि रामनारायण जाति जाट निवासी– ग्राम मनोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा उस पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी द्वारा अपनी कब्जेकाश्त व खातेदारी की वादग्रस्त भूमि की सारसंभाल एवं सीमाओं की महफूज–महदूद करने हेतु वादग्रस्त भूमि की ... कर उसके स्थान पर पुख्ता पत्थर की बाउन्डरीवाल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रखा है, जो जारी है। दिनांक 25.04.2015 को दो–तीन व्यक्ति मौके पर आये तथा वादी ... भूमि पर काम कर रहे मजदूरों को धमकाने लगे कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। इस पर वादी ने उसे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम छीतर पुत्र सेडू दरोगा है। इस क्षेत्र में मेरी धाक चलती है, इस जमींन पर मेरी इजाजत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

के बिना कुछ भी निर्माण नहीं करोगें। इस पर वादी न उसका विरोध किया तो वह उग्र हो गया तथा कहा कि तुम मुझे रूपये दे दो नहीं तो तुम्हें तुम्हारें खेतों की बाउन्डरीवाल नहीं बनाने दुगां तुम्हारे विरूद्ध पहले भी मैने एक झूठा दावा हैरान–परेशान करने की गरज से पेश कर रखा हैं तथा और भी झूठी कार्यवाहियां तुम्हारें विरूद्ध करूगां, जिससे तुम अत्यधिक हैरान–परेशान होकर मुझे रूपया दोंगे। वादी कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति है तथा प्रतिवादी बहुसंख्यक हैं, जिनकी अनुचित कार्यवाही का विरोध करने में वादी पूर्णतया असक्षम हैं, इसलिए वादी को माननीय न्यायालय में उक्त वाद संस्थित कर उचित अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। वादी की वादग्रस्त कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त नहीं है। वादी अधिकारी है कि वह मान्य न्यायालय से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करावे कि वह वादी के हक व हिस्से में आई भूमि के कब्जे–काश्त एवं उपयोग–उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें और ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे। वादी वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 01.07 हैक्टयर ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग बाउन्छरीवाल निर्माण व अन्य सुधार कार्यो मेंकिसी प्रकार का किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप प्रतिवादी न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी परिवारजन ऐजेन्ट सर्वेन्ट उत्तराधिकारी या किसी अन्य दीगर व्यक्ति से नहीं करावे। ना ही भूमि की बाउन्डरीवाल को किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया तथा प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यो [illegible] जवाब दावें मे अंकन किया कि सहखातेदारो ने बेईमानी पूर्वक अपने [illegible] की थी तथा प्रतिवादी ने एक वाद पत्र संख्या 100/15 उनवानी छीतर [illegible] हर्षा लखानी वगै0 न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायालय अतिरिक्ति [illegible]विल न्यायालधीश कम संख्या 26 जयपुर महागनर सांगानेर मे फर्जी तरीके से किये गये रजिस्टर्ड विकय पत्र को रद्द कराने हेतु प्रस्तुत किया है जिसम वादी भी प्रतिवादी संख्या 3 के रुप मे पक्षकार है , प्रतिवादी को किसी प्रकार से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है, ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
Jul 26, 2022, 18:43

ही श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, अत वादी का वाद खारिज किया जावे। तत्पश्चात उभयपक्षो की उपस्थिति मे प्रकरण निम्न विवाद्यक विरचित किये गये।

1 – आया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जकरश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 01.07 हैक्टेयर ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

————वादी

2 – अनुतोष।

तत्पश्चात प्रतिवादी के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थित नही हुए इसलिए प्रतिवादी के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तत्पश्चात वादी की एकपक्षीय साक्ष्य प्रारम्भ की गई वादी ने वाद के समर्थन में वादी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और समर्थन में प्रर्दश–1 जमाबन्दी संवत 2069–2072 ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर खसरा नम्बर 360 रकबा 01.07 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की तथा वादी की साक्ष्य एकपक्षीय लेखबद्व की गयी। पत्रावली को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में लिखित बहत प्रस्तुत की गयी। जिसे पत्रावली में शामील किया गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र व लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला, पटवार हल्का पंवालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिाल जयपुर में वादी की सहखातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 01.07 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादी का अभिलिखित हिस्सा 1/2 है तथा हिस्सा 1/2 वादी के भाई सतीश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश खत्री के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है। वादग्रस्त भूमि को वादी एवं उसके भाई सतीश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र हरफूली देवी पत्नि [illegible] ग्राम मनोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से जरिये पंजि[illegible] विक्रयपत्र दिनांक 30.12.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया [illegible] काश्त होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी का विवादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
सांगानेर (जिला)
26, 2022, 18:43

वादी को काश्तकार होने के कारण विधिक अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति काबिज व अभिलिखित काश्तकार के उपयोग उपभोग मे वाधा उत्पन्न करता है तो वे मान्य न्यायालय से उस व्यक्ति को पावन्द करा देवे अत वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त सम्पति कृषि भूमि खसरा नम्बर 360 रकवा 01.07 हैक्टेयर ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग बाउन्डरीवाल निर्माण व अन्य सुधार कार्यो में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप प्रतिवरदी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने कियी परिवारजन ऐजेन्टस सर्वेन्ट, उत्तराधिकारी अथवा किसी अन्य दीगर व्यक्ति से नही करावें। ना ही भूमि की बाउन्दरीवाल को किसी प्रकार से नष्ट–भ्रष्ट करें तथा प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाव दावे के समर्थन मे किसी प्रकार की कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा ना ही अपने जवाव दावे मे अंकित तथ्यो का प्रमाणित किया है तथा विधि अनुसार वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वाद को पूर्णतया प्रमाणित किया है अत वाद वादी के हक मे डिक्री किया जावे।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 01 जमावन्दी से स्पष्ट है कि वादी विवादग्रस्त भूमि अभिलिखित काबिज काश्तकार है ऐसी अवस्था मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा भू राजस्व अधिनियम के तहत वादी का ही विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा माना जायेगा तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत यदि कोई व्यक्ति अभिलिखित काबिज काश्तकार के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई बाधा कारित करता है तो अभिलिखित खातेदार काश्तकार उस व्यक्ति को पाबन्द करा सकता है तथा प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात साक्ष्य के रुप मे प्रस्तुत कर खण्डन नही किया है कि वादी विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नही है तथा ना ही प्रतिवादी यह खण्डित कर पाया कि वादी का विवादग्रस्त भूमि पर वास्तिविक व विधिक कब्जा नही है इसके विपरीत वादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभिलिखित खातेदार होना तथा विवादग्रस्त भूमि पर काबिज होना तथा प्रतिवादी [illegible] आधार अधिकार के वादी के विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा [illegible] करना सावित किया है ऐसी अवस्था मे वादी ने तनकी संख्या एक को [illegible]स्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य साबित किया हे इसलिए तनकी संख्या एक वादी के पक्ष मे निर्णित की जी है तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। वादी द्वारा तनकी संख्या एक को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

Jul 26, 2022, 18:43

अपने पक्ष मे साबित किया है इसलिए वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायाचित है

अत वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के स्वामित्व व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 01.07 हैक्टेयर ग्राम हरगुण की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग बाउन्डरीवाल निर्माण व अन्य सुधार कार्यो में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप प्रतिवादी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी परिवारजन एजेन्ट व सर्वेन्ट, उत्तराधिकारी अथवा किसी अन्य दीगर व्यक्ति से नही करावें तथा ना ही भूमि की बाउन्ड्रीवाल को किसी प्रकार से नष्ट–भ्रष्ट करें।

निर्णय आज दिनांक 07/03/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

Jul 26, 2022, 18:43